संख्या : 1162/नौ-4-2001-1685 डब्लू/2000

प्रेषक,

जे० एस० मिश्र
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय
उ०प्र०, लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2001

विषय- उ०प्र०पालिका ।केन्द्रीयित ।. एलोपैथिक ।पुरूष एवं महिला । होम्योपैथिक ।पुरूष एवं महिला। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा के चिकित्साधिकारी श्रेणी-2, वैद्य एवं हकीम श्रेणी-2 को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त श्रेणी-1 का वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में ।.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वेतन आयोग द्वारा वर्ष 1971-73 में यह संस्तुति की गयी है कि वे व्यक्ति जो चिकित्साधिकारी ग्रेड-2, वैद्य एवं हकीम ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्त किए गए हों, ग्रेड-2 में दो वर्षों की संतोष जनक सेवा के उपरान्त ग्रेड-1 का वेतनमान दे दिया जाय ।

2. वित्त वेतन आयोग की उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० पालिका ।केन्द्रीयित । एलोपैथिक ।पुरूष एवं महिला । होम्योपैथिक ।पुरूष एवं महिला। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा के चिकित्साधिकारी श्रेणी-2, वैद्य एवं हकीम श्रेणी-2को दो वर्ष की संतोष जनक सेवा के उपरान्त श्रेणी-1 का वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त आदेश रिट याचिका संख्या:53535/2000 डा० रमाकान्त पाण्डे बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2000 के अनुपालन में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

। जे० एस० मिश्र ।
सचिव ।

संख्या: एवं तद् दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम ।
2. डा० रमाकान्त पाण्डे चिकित्साधिकारी, नगर निगम, इलाहाबाद।
3. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

। अवधेश नारायण ।
अ० सचिव ।